संख्याः 244–सै.क–02–70(सैनिक कल्याण)/2002

प्रेषक

आर. के. वर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तरांचल देहरादून

समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 13 सितम्बर 2002

विषयः द्वितीय विश्व युद्ध नियमावलीः–2002 के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2001/सै.क/द्वि.वि.यु.नि./01 दिनांक 09 मई 2002 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुऐ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय "उत्तरांचल के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं" को पेंशन स्वीकृत करने की नियमावलीः–2002 (संलग्न परिशिष्ट) को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 उक्त नियमावली तत्काल प्रभावी होगी।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्याः 244–सैक.–02–70(सैनिक कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
3 निजी सचिव मा, मंत्री सैनिक कल्याण उत्तरांचल।
4 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
5 स्टाफ आफिसर,, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
6 मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ।
7 समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
8 समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी उत्तरांचल।
9 गार्ड फाईल।
10 उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

"उत्तरांचल के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं" को पेंशन स्वीकृत करने की नियमावलीः–2002

1 उद्देश्य एवं प्रयोजन तथा पात्रताः

उत्तरांचल में निवास करने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं के भरण पोषण हेतु मासिक पेंशन उपलब्ध कराना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है यह पेंशन उत्तरांचल शासन द्वारा स्वीकृत की गयी तिथि से समय–समय पर निर्धारित/संशोधित दर पर प्रतिमाह/प्रतिपात्र को देय होगी।

इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं जो निम्न शर्तें पूरी करते हो, पेंशन प्राप्त करने के पात्र होगें।

(क) जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सेना में कमी के कारण (डिमोब्लाइज्ड) अथवा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम होने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा मुक्त कर दिये गये हो। इस आशय का अभिलेख जो भारतीय सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो, अभ्यर्थी द्वारा अपनी पात्रता के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) उत्तरांचल के स्थायी निवासी हो। इस आशय का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

(ग) उत्तरांचल सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अन्य स्रोत्रों से किसी प्रकार की कोई पेंशन प्राप्त न कर रहा हो। अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र गलत साबित होने पर पेंशन के रूप मे दी गयी धनराशि भू–राजस्व की भांति प्राप्त कर्ता से वसूली कर ली जायेगी।

2 पेंशन स्वीकृति करने की प्रक्रियाः

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिको अथवा विधवाओं को भरण पोषण हेतु पेंशन का प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर उपरोक्त अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों के साथ अपने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के कार्यालय मे देना होगा। उक्त प्रार्थना पत्र के प्रपत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त होगें।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी अपने कार्यालय में द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिको तथा उनकी विधवाओं से प्राप्त प्रार्थना पत्र की एक सूची (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) तैयार करेंगे। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी प्रत्येक प्रार्थना पत्र में पार्थी द्वारा उल्लिखित तथ्यों की पूरी जांच कर तीन प्रतियों में अपनी संस्तुति सहित जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास को, पेंशन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। स्वीकृत पेंशन फार्म की एक प्रति जिलाधिकारी के कार्यालय में, एक प्रति जिला सैनिक कल्याण एवं

क्रमशः 2

पुनर्वास कार्यालय तथा एक प्रति निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय को विवरण सहित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा भेजी जायेगी। स प्रपत्र के अनुसार जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एक रजिस्टर रखेंगे, कि जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्रो एवं भुगतान का पूर्ण विवरण अंकित होगा।

3 पेंशन वितरण की प्रक्रिया:

स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के आधार पर इस मद में बजट में आवंटित धनराशि में से कि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा प्रत्येक तीसरे माह कोषागार से आवश धनराशि आहरित करके प्रार्थियों को उनके द्वारा खोले गये डाकघर खाते मे भेज जायेगा। पेंशन भुगतान का रिकार्ड रखने के लिए इस योजना के प्रत्येक पेंशन प्राप्त की एक पेंशन बुक, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा निःशुल्क प्रदान जायेगी(प्रपत्र संलग्न)।

4 अनुश्रवण की प्रक्रिया:

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी पेंशन वितरित किये जाने वाले माह के अं सप्ताह में, निदेशालय को निम्नलिखित सूचना इस प्रमाण–पत्र के साथ प्रेषित करेंगे वितरित की गयी धनराशि का भुगतान पात्र व्यक्तियो को ही किया गया है। निदेशा आहरित एवं वितरित धनराशि की संकलित त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग/वि विभाग को भेजेगा।

(क) कोषागार से आहरित की गई धनराशि
(ख) वितरित की गई धनराशि
(ग) पेंशनरों की संख्या जिन्हे पेंशन का भुगतान डाकघर बचत खाता द्व किया गया।

5 सामान्य नियम:

1. प्रार्थी के मृत्यु के माह से पेंशन देना बन्द कर दिया जायेगा। इस संबंध आवश्यक जाँच जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/सहायक अधिकारी/कल्या कार्य–कर्ता अपनी मासिक भ्रमण में करेंगे।

2. यदि किसी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में लिखित गलत सूचना के आधार पर पेंश स्वीकृत कर दिया गया है तो वास्तविक स्थिति ज्ञात होते ही उसकी पेंशन ब कर दी जायेगी तथा संबंधित प्रार्थी को पेंशन की कुल धनराशि को राजकीय को मे जमा करना होगा।

3. इस नियमावली के अन्तर्गत द्वितीय विश्व के जिन सैनिकों अथवा उनकी विधवा को एक बार पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी तो उसे अगले वर्षों मे पेंशन प्राप्त कर के लिए फिर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। कि इसका सत्यापन कल्याण कार्य–कर्ता/सहायक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः 3

4. प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर के माह में पेंशन प्राप्त–कर्ता को अपने जीवित होने के प्रमाण स्वरूप व्यक्तिगत रूप से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना पडेगा। परन्तु लाभार्थी यदि किन्ही अपरिहार्य कारण वश उपस्थित नही हो पाता है तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/कल्याण कार्य कर्ता/सहायक अधिकारी को भेजकर लाभार्थी के जीवित होने की पुष्टि करायेगा।

5. इस पेंशन की स्वीकृति, भविष्य के अच्छे आचरण के अधीन होगी। यदि पेंशनर किसी अपराध या नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी उस पेंशनर की पेंशन रोकने या स्वीकृति आदेश वापस लेने का पूर्ण अधिकारी होगा।

6. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी अपने जिलो मे निवास करने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के पंजीकृत पात्र सैनिकों की सूची हर त्रैमास में निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल को धन आवंटित करने हेतु प्रेषित करेगे। निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल अक्टूबर माह में जिले वार पेंशनरों की सूची तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए वांछित धनराशि का अनुमान शासन को उपलब्ध करायेगे।

आर. के. वर्मा
सचिव
समाज(सैनिक) कल्याण

विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को उत्तरांचल सरकार द्वारा देय पेंशन का प्रार्थना पत्र

संयुक्त फोटो
जिला सैनिक कल्याण
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित

1. प्रार्थी का नाम, नं. तथा रैंक
2. पिता /पति का नाम
3. यूनिट वर्तमान रिकार्ड कार्यालय
4. भर्ती की तिथि
5. डिस्चार्ज की तिथि व कारण
   (डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।)
6. जन्म तिथि
7. प्रार्थी का पूरा पता (स्थायी)
8. यदि प्रार्थी को केन्द्र या राज्य सरकार से किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त हो रही है तो उसका विवरण
9. उत्तरांचल में निवास करने की अवधि
10. प्रार्थी का डाकघर बचत खाता संख्या-

शपथ पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त सूचना पूर्णतः सत्य है। असत्य पाये जाने की स्थिति में, मेरी पेंशन तुरन्त पेंशन बन्द हो जाने के साथ साथ मेरे द्वारा अब तक ली गई धनराशि सरकार को वापस करने के लिए मैं बाध्य हूंगा/हूंगी।

प्रार्थी का हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की जांच

प्रार्थी के सभी संबंधित अभिलेखों की जांच के उपरान्त मैं संतुष्ट हूं कि वह पेंशन पाने का पात्र है। तदनुसार मैं इनकी पेंशन स्वीकृत करने की संस्तुति करता हूं।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित

स्वीकृत/अस्वीकृत

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय -

भुगतान का विवरण

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा

प्रमाणित फोटो

1. पेंशन प्राप्त कर्ता का नाम -
2. पति /पिता का नाम -
3. पता (स्थायी)
4. रजिस्टर का कमांक, पृष्ठ संख्या-

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय -

भुगतान का विवरण			भुगतान का विवरण		
तिथि	अवधि	भुगतान की गई धनराशि	तिथि	अवधि	भुगतान की गई धनराशि

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय -

द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों /विधवाओं के लिये पेंशन स्वीकृत हेतु रजिस्टर

क्र. सं.	रैंकनाम	पता (स्थायी)	स्वीकृत	अस्वीकृत	भुगतान रजिस्टर का पेज एवं क्रम संख्या केवल स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के लिए
1	2	3	4	5	6

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय -

पेंशन भुगतान रजिस्टर 2002

क्रम सं.	स्वीकृत नं./रैंक	नाम	पूरा पता	मासिक विवरण
				जन./फर./मार्च/अप्रै./मई/जून/जुला./अग./सित./अक्टू./नव./दिस.